न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–107 के तहत

वाद सं0–एम० 99/2022

दुलाल कृष्ण चटर्जी बनाम विपीन सिंह वगैरह

तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
1	2	3
16-07-2022	प्रस्तुत वाद में धारा–107 द० प्र० सं० के थाना प्रभारी सोनाहातु (राहे ओ.पी.) के अप्राथमिकी संख्या–12/22 दिनांक 30/06/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि खाता संख्या–46 प्लॉट सं. 66 रकवा–24 डी./67 रकवा–3 डी./68 रकवा–3 डी. विवाद का कारण है। जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। अतः मैं अनुगण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द० प्र० सं० की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 50,000/– (पचास हजार) रू0 मात्र का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख तिथि 06-08-2022 को उपस्थापित करें। 16/07 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू।	

अनुसूची 14 – फारम सं० 563
Schedule-14 Form No.-563

पृष्ठ संख्या (04)

आदेश की क्रमांक / तिथि Order No./Date	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Magistrate
27-01-2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अधिवक्ता हाजरी। प्रथम पक्ष जवाब दाखिल। दिनांक 10-02-2023 को रखें। ह० 27/1/2023 कार्य० दण्डा० बुण्डू।
10-02-2023	उभय पक्ष हाजरी। पीठासीन दण्डाधिकारी अवकाश पर। दिनांक 17-02-2023 को रखें। ह० –
17-02-2023	अभिलेख उपस्थापित। इस वाद में वैधानिक समय-सीमा छः (06) माह की अवधि पूर्ण हो चुका है, अर्थात वाद कालबाधित हो गया है। अतः इस वाद में बिना कोई प्रभावी आदेश पारित किये अभिलेख की कार्यवाही को समाप्त की जाती है। ह० 17/2/2023 कार्य० दण्डा० बुण्डू।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.15 16:50:38 +05:30
Location: 10.93.79.5